न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
30 / 2021	11.02.2021	27.1.23

पीठासीन अधिकारी–हरविन्दर डी0 सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1– नन्दकिशोर पुत्र लच्छीराम
2– बद्रीलाल पुत्र लच्छीराम
3– बंशीलाल पुत्र लच्छीराम
4– बजरंगलाल पुत्र लच्छीराम
5– घनश्याम पुत्र लच्छीराम
6– जुगलकिशोर पुत्र लच्छीराम
7– बृजराज पुत्र लच्छीराम
8– ललता पुत्री लच्छीराम
जाति खाती निवासी ग्राम कचोलिया तहसील दीगोद, जिला कोटा हाल मुकाम कापरेन जिला बून्दी (राज0)

(वादीगण)

बनाम

1– रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ जाति खाती निवासी कचोलिया तह0 दीगोद जिला कोटा
2– विमला पत्नी रामेश्वर जाति खाती निवासी कचोलिया तह0 दीगोद जिला कोटा
3– बाबूलाल पुत्र श्री मथुरालाल (मृतक) कायम मुकामान–
3/1 ब्रजबिहारी पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी कचोलिया
3/2 इन्द्रराज पुत्र बाबूलाल जाति खाती निवासी कचोलिया
3/3 अनिता पुत्री बाबूलाल बाबूलाल पत्नी जोधराज गोड निवासी भटवाडा
3/4 सुनिता पुत्री बाबूलाल पत्नी पुरुषोतम गोड निवासी इटावा जिला कोटा
3/5 मीना पुत्री बाबूलाल पत्नि रोहित गोड निवासी बडौदा श्योपुर (म0प्र0)
3/6 रूकमणी बेवा बाबूलाल जाति खाती निवासी कचोलिया
4– चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री मथुरालाल
5– अनारबाई पुत्री मथुरालाल
6– मूली बाई पुत्री मथुरालाल
7– मूली बाई पुत्र मथुरालाल
8– कमलाबाई पत्नी स्व0 मथुरालाल
9– लटूरलाल पुत्र मथुरालाल जाति खाती निवासीगण कचोलिया तह0 दीगोद जिला कोटा
10– दीना प्रसाद पुत्र द्वारकीलाल
11– रीना पुत्री द्वारकीलाल
12– किरण पुत्री द्वारकीलाल
13– कलावती बाई पत्नी द्वारकीलाल
जाति
14– मिथलेश कुमारी पत्नी श्री निरंजन कुमार जाति महाजन निवासी कचोलिया तहसील दीगोद जिला कोटा

ह0
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

15– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री सुरेन्द्र दाधीच एडवोकेट
प्रतिवादी की 1 ता 13 ओर से – श्री पंकज मेघवाल एडवोकेट
प्रतिवादी 14 की ओर से– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कचोलिया तहसील दीगोद में खाता संख्या 52 में ख0 न0 94 रकबा 0.31 हेक्टर, ख0 न0 354 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 398 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 402 रकबा 1.07 हे0, किता 4 रकबा 2.19 हेक्टर भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 के नाम संयुक्त खाते दर्ज है। जिसमें वादी क्रम 1 ता 8 का हिस्सा 1/2 तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 9 का हिस्सा 7/32 तथा प्रतिवादी क्रम 10 ता 13 का हिस्सा 1/32 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ग्राम तोरण तहसील दीगोद में खाता सं0 122 में खसरा नं0 34 रकबा 0.39 हे0, ख0नं0 35 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 38 रकबा 0.53 हे0, ख0नं0 39 रकबा 0.96 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.62 हे0, ख0नं0 55 रकबा 0.53 हे0, ख0नं0 56 रकबा 0.06 हे0, किता 7 रकबा 3.26 हे0 भूमि स्थित है।

यह कि उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 के नाम संयुक्त खाते दर्ज है। जिसमें वादी क्रम 1 ता 8 का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 9 का हिस्सा 7/96 तथा प्रतिवादी क्रम 10 ता 13 का 1/96 हिस्सा भूमि नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ग्राम तोरण तहसील दीगोद में खाता संख्या 121 में खसरा नं0 40 रकबा 1.06 हे0, किता 1 रकबा 1.06 हे0 भूमि केचमेन्ट बाद खसरा नम्बर 1388 रकबा 1.00 हे0 भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 के नाम संयुक्त खाते दर्ज है। जिसमें वादी क्रम 4 का हिस्सा 33/144 वादी क्रम 1, 2, 3, 5 ता 8 का 63/144 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है , प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4 भूमि तथा प्रतिवादी क्रम 3 ता 9 का हिस्सा 7/96 तथा प्रतिवादी क्रम 10 ता 13 का हिस्सा 1/96 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

ग्राम मेंहन्दी तहसील दीगोद में खाता सं0 245 में खसरा नं0 189 रकबा 1.15 हे0, ख0नं0 286 रकबा 0.95 हे0, किता 2 रकबा 2.10 हे0भूमि स्थित है।

उक्त वर्णित भूमि वादी क्रम 1 ता 8 एवं प्रतिवादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 14 के नाम संयुक्त खाते दर्ज है। जिसमें वादी क्रम 1 ता 8 का हिस्सा 1/2 तथा शेष आराजी प्रतिवादी क्रम 1 का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 14 का 1/4 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त आराजियात को इस वाद पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

यह कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 के संयुक्त खाते दर्ज है जिसमें वादी क्रम 1 ता 8 का खाता सं0 52 में 1/2 हिस्सा तथा ग्राम तोरण में खाता सं0 122 में वादी क्रम 1 ता 8 का 1/2 हिस्सा तथा खाता सं0 121 में वादी क्रम 4 का हिस्सा 33/144 तथा वादी क्रम 1, 2, 3 व 5 ता 8 का हिस्सा 63/144 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादीगण अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा शेष आराजी पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 अपने अपने हिस्सानुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 के नाम संयुक्त खाते दर्ज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 वादीगण के कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण का हिस्सा पृथक से खाते दर्ज किया जावे।

यह कि उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में शामलाती खाते दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की आराजी का विकास कार्य करवाने एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी काफी असुविधा हो रही है। इसलिए वादीगण अपना हिस्सा राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा करवाकर अपने हिस्से की भूमि राजस्व रिकार्ड में पृथक से खसरा नं0 व लगान तय करवाने के कानूनी अधिकारी है।

यह कि वाद कारण दिनांक 08.12.2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 से अपने हिस्से की आराजी को अलग खाते करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 द्वारा साफ इन्कार हो गये जिस कारण वाद बमुकाम कचौलिया तहसील दीगोद में उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

कि ग्राम कचोलिया तहसील दीगोद में खाता सं0 52 में ख0नं0 94 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 354 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 398 रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 402 रकबा 1.07 हे0, कुल किता 4 रकबा 2.19 हेक्टर भूमि मेकं से हिस्सा 1/2 तथा ग्राम तोरण तहसील दीगोद में खाता सं0 122 में खसरा नं0 34 रकबा 0.39 हे0, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 38 रकबा 0.53 हे0, ख0नं0 39 रकबा 0.96 हे0, ख0नं0 41 रकबा 0.62 हे0, ख0नं0 55 रकबा 0.53 हे0, ख0नं0 56 रकबा 0.06 हे0, किता 7 रकबा 3.26 हे0, भूमि तथा ग्राम तोरण तहसील दीगोद में खाता संख्या 121 में खसरा नं0 40 रकबा 1.06 हे0, किता 1 रकबा 1.06 हे0, भूमि केचमेन्ट बाद खसरा नं0 1388 रकबा 1.00 हेक्टर भूमि तथा ग्राम मेहन्दी तहसील दीगोद में खाता सं0 245 में खसरा नं0 189 रकबा 1.15 हे0, ख0नं0 286 रकबा 0.95 हे0 किता 2 रकबा 2.10 हेक्टर भूमि का बंटवारा वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 14 के मध्य कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुए राजस्व रिकार्ड में हिस्सानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पृथक से खाते दर्ज करवाया जाकर पृथक खसरा नम्बर एवं लगान तय करवाया जावे।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज संलग्न किये गयेः–

1-- नकल जमाबन्दी ग्राम तोरण सम्वत 2071–2074

2-- नकल जमाबन्दी सम्वत 2071– 2074 खाता सं0 122

3-- नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–73 ग्राम कचोलिया

4-- नकल जमाबन्दी ग्राम मेहन्दी सम्वत 2072–75

ह0/-
सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विधिवत करवायी गई।

यह कि उक्त वाद में उभय पक्ष की ओर से आपसी सहमति से दिनांक 16.09.2022 को ग्राम ग्राम तोरण एवं मेहन्दी की भूमियों में राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। आदेशिका में उभय पक्षकारान के हस्ताक्ष करवाये गये है।

प्रस्तुत राजीनामा में वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा की गई एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ताओं के द्वारा की गई है। प्रकरण में वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामा सहमति से प्रस्तुत किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण में राजीनामा निम्न रूपेण प्रस्तुत किया गया है:-

(1) ग्राम मेहन्दी में खाता सं0 245

खसरा नम्बर 189 रकबा 1.15 हेक्टर मे से 0.52 हे0 पश्चिम में प्रतिवादी मिथलेस कुमारी पत्नि निरंजन कुमार के हिस्से में दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

(2) ग्राम कचोलिया में खाता सं0 77

खसरा नम्बर 299 रकबा 0.28 हेक्टर मे से 0.14 हेक्टर पूर्व दिशा, खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 हेक्टर मे से 0.12 हेक्टर पश्चिम दिशा में विमलाबाई पत्नि रामेश्वर जाति खाती निवासी कचोलिया के हिस्से खातेदारी में दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

(3) ग्राम मेहन्दी में खाता सं0 245

खसरा नम्बर 189 रकबा 1.15 हेक्टर मे से 0.63 हेक्टर भूमि पूर्व दिशा में
वाके माल कचोलिया
खसरा नम्बर 72 रकबा 0.75 हेक्टर
खसरा नम्बर 130 रकबा 1.53 हेक्टर
खसरा नम्बर 133 रकबा 0.19 हेक्टर
खसरा नम्बर 134 रकबा 0.50 हेक्टर में से 0.38 हेक्टर पूर्व दिशा की
खसरा नम्बर 268 रकबा 0.83 हेक्टर
खसरा नम्बर 299 रकबा 0.28 हेक्टर मे से 0.14 हेक्टर पश्चिम दिशा में
खसरा नम्बर 354 रकबा 0.11 हेक्टर मे से 0.0275 हेक्टर पश्चिम दिशा की भूमि
रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ को खातेदार कृषक घोषित बंटवारा अनुसार किया जाकर . खातेदार घोषित किया जावे।

(4) माल ग्राम कचोलिया-
खसरा नम्बर 402 रकबा 1.07 हेक्टर
खसरा नम्बर 354 रकबा 0.11 हे0 मे से 0.055 हे0 मध्य
माल ग्राम तोरण -
खसरा नम्बर 55 रकबा 0.53 हेक्टर मे से 0.35 हे0 हिस्सा पश्चिम
खसरा नम्बर 34 रकबा 0.39 हेक्टर
खसरा नम्बर 38 रकबा 0.53 हेक्टर , मे से 0.5288 हे0
खसरा नम्बर 39 रकबा 0.96 हेक्टर, केचमेन्ट बाद ख0 नं0 1389 रकबा 0.90 हे0
मल ग्राम मेहन्दी -
खसरा नम्बर 286 रकबा 0.95 हेक्टर की भूमि

सहायक कलक्टर
कैथोद, जिला कोटा (राज.)

नन्दकिशोर , बद्रीलाल , बंशीलाल, बजरंगलाल, घनश्याम, बृजराज, जुगलकिशोर , ललताबाई, पिसरान लच्छीराम उर्फ लक्ष्मीनारायण के खातेदारी दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

(5) माल ग्राम तोरण–

खसरा नम्बर 35 रकवा 0.17 हेक्टर भूमि बद्रीलाल पुत्र लच्छीराम उर्फ लक्ष्मीनारायण के खाते दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

ख0नं0 38 रकबा 0.53 हे0 भूमि मे से 0.0012 हे0 भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में जाने से मुआवजा राशि हेतु बद्रीलाल पुत्र लच्छीराम उर्फ लक्ष्मीनारायण के द्वारा की ली जावेगी।

(6) माल ग्राम तोरण–

खसरा नम्बर 40 रकवा 1.06 हेक्टर भूमि केचमेन्ट वाद खसरा नम्बर 1388 रकवा 1.00 हेक्टर भूमि मे से 0.6906 हे0 भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (भारत माला परियोजना) के नाम से दर्ज बाद खसरा नम्बर 1388 रकवा 0.3094 हेक्टर भूमि पर बजरंगलाल पुत्र लच्छीराम उर्फ लक्ष्मीनारायण को खातेदार घोषित किया जाकर पंजीयन शुल्क जमा करवाकर खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 1388 रकबा 0.6906 हेक्टर भूमि मे से 0.17 हेक्टर भूमि का मुआवजा बजरंगलाल पुत्र लच्छीराम उर्फ लक्ष्मीनारायण जाति खाती निवासी कापरेन को दिया जाने के आदेश फरमावे। उक्त हिस्सा मथुरालाल के वारिसान के द्वारा बेचान किया है।

(7) माल ग्राम कचोलिया–

खसरा नम्बर 403 रकबा 0.12 हेक्टर

खसरा नम्बर 398 रकबा 0.70 हेक्टर भूमि बृजबिहारी, इन्द्रराज व रूकमणी बाई पत्नी/पिता बाबूलाल खाती के खातेदारी दर्ज कर खातेदार घोषित किया जावे।

(8) माल ग्राम कचोलिया–

खसरा नम्बर 94 रकबा 0.31 हेक्टर चन्द्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल , खसरा नम्बर 354 रकबा 0.0275 हेक्टर भूमि दीनाप्रसाद व चन्द्रप्रकाश के खाते दर्ज की जावे।

(9) यह कि वाके माल तोरण –

ख0नं0 55 रकबा 0.53 हे0 मे से 0.18 हे0 पूर्व दिशा में दीनाप्रसाद पुत्र द्वारकीलाल के खाते दर्ज की जावे।

ख0नं0 56 रकबा 0.06 हे0 भूमि चन्द्रप्रकाश हिस्सा 1/2 दीनाप्रसाद व कलावती बाई के खाते दर्ज की जावे।

(10) माल ग्राम तोरण–

खसरा नम्बर 41 रकबा 0.62 हेक्टर भूमि मे से 0.6136 हे0 भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भार सरकार (भारत माला परियोजना) के नाम दर्ज के बाद मुआवजा राशि दीनाप्रसाद व कलावती पिता/पत्नी द्वारकीलाल जाति खाती निवासी कचोलिया को दिया जावे, व 0.0066 हे0 भूमि दीनाप्रसाद व कलावती पिता/पत्नी द्वारकीलाल को खातेदार घोषित किया जावे।

(11) माल ग्राम तोरण

खसरा नम्बर 40 रकवा 1.06 हेक्टर केचमेन्ट बाद खसरा नम्बर 1388 रकबा 1.00 हेक्टर भूमि मे से 0.6906 हेक्टर भूमि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भार सरकार (भारत माला परियोजना) के नाम से दर्ज के बाद 0.52 हे0 भूमि का मुआवजा राशि चन्द्रप्रकाश पुत्र मथुरालाल जाति खाती निवासी कचोलिया को

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

राजीनामा में दिये जाने से पृथक से कार्यवाही कर ली जावेगी। इसलिए अन्य भूमि में राजीनामा स्वीकार किया जावे।

(11) कि उक्त विवादित आराजी मे से प्रतिवादी बाबूलाल के वारिसान , द्वारकीलाल के वारिसान चन्द्रप्रकाश के पक्ष मे अपने हिस्से की भूमि का मोखिक हकतर्कनामा प्रतिवादी क्रम 5 ता 9 ने कर दिया है प्रतिवादी क्रम 5 ता 9 अपने हिस्से की भूमि प्राप्त नहीं करना चाहती है अपने भाईयों/पुत्रों को दे रखी है, प्रतिवादी क्रम 5 ता 9 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर प्रतिवादी बाबूलाल के वारिसान द्वारकीलाल के वारिसान व चन्द्रकाश को खातेदार घोषित किया जावे। लटूरलाल के द्वारा अपना हिस्सा बेचान किया जा चुका है।

(12) कि बाबूलाल जी के वारिसान बृजबिहारी , इन्द्रराज, रूकमणी बाई के पक्ष में हकतर्कनामा मौखिक रूप से अनिता, सुनिता, मीना के द्वारा करने से खातेदार घोषित किया जावे।

(13) कि दीनाप्रसाद व कलावती बाई के पक्ष में रीना व किरण के द्वारा मौखिक रूप से हकतर्कनामा कर भूमि कब्जे में दिये जाने से रीना व किरण का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर दीनाप्रसाद व कलावती बाई को खातेदार घोषित किया जावे।

(14) कि उक्त राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बिना किसी दाब दबाव के अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सोच विचार करके किया है जिससे दोनो पक्ष पूर्णरूप से सहमत है।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र निर्णय व डिक्री पारित फरमाई जावे।

उक्त विवादित प्रकरण में उभय पक्षकार ने अपने अपने अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित होकर उभय पक्ष में सहमति से लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया गया। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा की गई। उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

अतः ग्राम कचोलिया, तोरण व मेहन्दी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से राजीनामा होने एवं राजस्व रिकार्ड का भली भांति अवलोकन करने पर उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होने पर प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

अतः उभय पक्षकारान में सहमति से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पृथक पृथक खातेदार उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है। अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि हेतु सक्षम न्यायालय में पृथक से कार्यवाही की जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.1.23 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दीगोद

सहायक कलेक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)